



न्यायालय सिविल जज जू०डि०/न्यायिक मजिस्ट्रेट बहेड़ी, बरेली।

उपस्थित: श्री विजय शंकर गौतम

Judicial Officer Code-UP03454

उ०प्र० न्यायिक सेवा,

CNR No. UPBR180027852022

सरकार

बनाम

कुलदीप आदि

वाद सं० 1329/2022

मु० अ० सं० 536/2020

अन्तर्गत धारा-452,323,504,506 भा० दं० सं०

थाना बहेड़ी, जिला बरेली।

निर्णय

1. थाना बहेड़ी जिला बरेली के मु० अ० सं० 536/2020 से उद्भूत प्रकरण में अभियुक्तगण कुलदीप, नैनसिंह, मंगल एवं भागीरथ के विरुद्ध धारा 452,323,504,506 भा० दं० सं० के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्राप्त होने के उपरान्त न्यायालय द्वारा अपराध का प्रसंज्ञान लेकर विचारण कार्यवाही प्रारम्भ हुई।
2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि मैं मुकेश पुत्र रघुवीर निवासी ग्राम जोधपुर थाना बहेड़ी बरेली में आज दिनांक 05.09.2020 को घर पर सो रहा था। समय करीब 8 बजे कुलदीप पुत्र भागीरथ, नैनसिंह पुत्र डालचन्द, मंगल व भागीरथ पुत्रगण पोशाकी लाल मेरे घर के सामने कम्बाइन में गाना बजाकर उत्पाद मचा रहे थे। इन लोगों से मैंने मना किया तो उपरोक्त लोग गाली देते हुए घर में घुस आये और मारपीट करने लगे। मेरी पत्नी किरन व मेरा भानजा राजकुमार बचाने के लिए आये तो मेरे भानजे को लाठियों से मारा, जिससे उसकी पसली में चोट आ गयी है। गांव वाले शोर सुनकर आ गये। गांव वालों ने उन्हें ललकारा। मौके पर रूप किशोर भी मौजूद था। जिसने हमें बचाया, जाते समय उपरोक्त लोग जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। हम लोग थाने आए हैं। मेरी रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।
3. वादी मुकदमा की लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 06.09.2020 को थाना बहेड़ी जिला बरेली पर अभियुक्तगण कुलदीप, नैनसिंह, मंगल एवं भागीरथ के विरुद्ध मु० अ० सं० 536/2020 अन्तर्गत धारा 452,323,504,506 भा० दं० सं० के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रस्तुत मामले की विवेचना एस०आई० सुनील कुमार भारतद्वज के द्वारा की गयी। विवेचक ने दौरान विवेचना साक्षीगण के बयान अंकित किये तथा घटना स्थल का निरीक्षण करके नक्शा नजरी तैयार किया तथा संपूर्ण साक्ष्य एकत्रित करके अभियुक्तगण कुलदीप, नैनसिंह, मंगल एवं भागीरथ के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए न्यायालय में आरोप पत्र धारा 452,323,504,506 भा० दं० सं० में प्रस्तुत कर उचित दण्ड से दण्डित करने हेतु निवेदन किया।
4. आरोप पत्र न्यायालय में प्राप्त होने के उपरान्त अभियुक्तगण कुलदीप, नैनसिंह, मंगल एवं भागीरथ के विरुद्ध अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया तथा अभियुक्तगण को विचारण हेतु आहुत किया गया। अभियुक्तगण कुलदीप, नैनसिंह, मंगल एवं भागीरथ न्यायालय में उपस्थित आये और अपनी अपनी जमानतें करायीं। अभियुक्तगण पर आरोप धारा 452,323,504,506 भा० दं० सं० दिनांक 20.01.2023 को विरचित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा आरोपों से इंकार करते हुए, विचारण की मांग की गयी।

5. अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों को साबित करने के लिए साक्षी पी0 डब्लू0 01, मुकेश (वादी मुकदमा/शिकायतकर्ता), पी0 डब्लू0 02, किरन (चक्षुदर्शी साक्ष्य), पी0 डब्लू0 03, राजकुमार (चक्षुदर्शी साक्ष्य) एवं पी0 डब्लू0 04, रूपकिशोर (चक्षुदर्शी साक्ष्य) को परीक्षित कराया गया। अभियोजन को साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया तथा अभियोजन द्वारा अन्य किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया तथा शेष गवाहों को उन्मोचित करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया, जो स्वीकृत हुआ। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में अभियोजन की ओर से लिखित तहरीर प्रदर्श क-1, प्रथम सूचना रिपोर्ट, नक्शा नजरी, आरोप पत्र आदि अभियोजन प्रपत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत अभियोजन प्रपत्रों की प्रामाणिकता को स्वीकार किया गया। अतः अभियोजन साक्ष्य समाप्त हुआ।
6. अभियोजन साक्ष्य समाप्ति के पश्चात अभियुक्तगण कुलदीप, नैनसिंह, मंगल एवं भागीरथ का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0 प्र0 सं0 दिनांक 18.08.2023 को अंकित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा घटना को झूठा बताते हुए सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया गया।
7. मैंने सहायक अभियोजन अधिकारी एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।
8. अभियुक्तगण पर आरोप है कि दिनांक 05.09.2020 को समय लगभग 20:00 बजे एवं घटना स्थल वादी का मकान ग्राम जोधपुर थाना बहेड़ी जिला बरेली पर अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा के घर में घुसकर वादी मुकदमा एवं उसके भांजे के साथ लाठी डंडों से मारपीट कारित कर स्वेच्छा से उपहति किया, अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा के घर में घुसकर उसको गंदी गंदी गालियां देकर अपमानित किया, वादी मुकदमा को जान से मारने की धमकी दी एवं अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा के घर में घुसकर उसके साथ लाठी डंडों से मारपीट कारित की।
9. दार्ष्टिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन को अपने कथानक को युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करना होता है।
10. अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपों को साबित करने के लिए साक्षी पी0 डब्लू0 01, मुकेश (वादी मुकदमा/शिकायतकर्ता), पी0 डब्लू0 02, किरन (चक्षुदर्शी साक्ष्य), पी0 डब्लू0 03, राजकुमार (चक्षुदर्शी साक्ष्य) एवं पी0 डब्लू0 04, रूपकिशोर (चक्षुदर्शी साक्ष्य) को परीक्षित कराया गया है तथा इसके अतिरिक्त किसी अन्य साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।
11. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0 डब्लू0 01, मुकेश (वादी मुकदमा/शिकायतकर्ता) ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि, "घटना दिनांक 05.09.2020 की है। मैं अपने घर पर सो रहा था। शाम के लगभग 8 बजे थे। तभी अभियुक्तगण कुलदीप, नैनसिंह, भागीरथ एवं मंगल मेरे घर के सामने कम्बाइन मशीन में गाना बजाकर शोर मचा रहे थे। जब मैंने गाना बजाने से मना किया तो यह लोग मुझे गंदी गंदी गालियां देने लगे और मेरे घर में घुसकर जबरदस्ती मारा पीटा। जिससे मेरे भांजे राजकुमार के चोट आ गयी। जब गांव वालों ने शोर मचाने पर इन लोगों को ललकारा तो यह लोग जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। घटना के समय रूपकिशोर मौजूद था। घटना की तहरीर मैंने थाने पर दी थी, जो पत्रावली पर मौजूद है। जिसपर मेरा हस्ताक्षर है, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूं। जिसपर प्रदर्श क-1 डाला गया। घटना के संबंध में दरोगा जी ने मेरे बयान लिये थे।"
12. इस साक्षी से बचाव पक्ष द्वारा जिरह की गयी। इस साक्षी ने अपने जिरह में कथन किया है कि, "मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। केवल हस्ताक्षर बना लेता हूं। तहरीर मुझे पढ़कर सुनायी नहीं गयी थी। हस्ताक्षर बना लिये थे। घटना के समय अंधेरा था। गाना बजाने को लेकर अभियुक्तगण कुलदीप, भागीरथ, मंगल व नैनसिंह से कहा सुनी हो गयी थी। अभियुक्तगण मेरे घर में जबरदस्ती नहीं घुसे थे। शोर शराबे की आवाज सुनकर काफी लोग आ गये थे। अभियुक्तगण ने न तो मुझे गंदी गालियां दी थी, न ही मारा पीटा था, न ही जान से मारने की धमकी दी थी। लोगों के बहकावे में आकर मैंने रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। अभियुक्तगण हमारे मौसरे भाई है। अब

हमारे बीच कोई विवाद शेष नहीं है। घटना के संबंध में दरोगा जी ने हमारा कोई बयान नहीं लिया।"

13. अभियोजन द्वारा इस साक्षी से पुनः परीक्षा की गयी। पुनः परीक्षा में पी0डब्लू0 01 मुकेश (वादी मुकदमा/शिकायतकर्ता) को धारा 161 सी0आर0पी0सी0 का बयान पढ़कर सुनाया गया, तो उसने कहा कि, "मैंने दरोगा जी को ऐसा कोई बयान नहीं दिया। गवाह से पूछा गया कि किन लोगों के बहकावे में आकर रिपोर्ट लिखाई थी, तो उसने कहा कि मुझे उनके नाम याद नहीं है। यह कहना सही है कि दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया है, लेकिन यह कहना गलत है कि राजीनामा होने के कारण मैं आज झूठी गवाही दे रहा हूँ।"

14. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0 02, किरन देवी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि, "घटना आज से लगभग दो ढाई साल पहले की है। घटना के समय रात का समय था और अंधेरा था। मैं उस समय घर के अन्दर थी। घर के बाहर शोर शराबे की आवाज सुनकर मैं बाहर आई तो देखा काफी भीड़ इकट्ठा थी। मेरे सामने अभियुक्तगण कुलदीप, भागीरथ, नैनसिंह तथा मंगल ने न तो मेरे पति मुकेश को न ही राजकुमार को गंदी गंदी गालियां दी थी, न ही घर में जबरदस्ती घुसे थे, न ही मारा पीटा था और न ही जान से मारने की धमकी दी थी। घटना के संबंध में दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया।" अभियोजन द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर जिरह की गयी।

15. साक्षी पी0डब्लू0 02, किरन देवी द्वारा अपनी जिरह में धारा 161 सी0आर0पी0सी0 का बयान पढ़कर सुनाये जाने पर कथन किया गया कि, "मैंने ऐसा कोई बयान दरोगा जी को नहीं दिया। कैसे लिख लिया मुझे नहीं पता। यह कहना सही है कि दोनों पक्षों में समझौता हो गया है, लेकिन यह कहना गलत है कि राजीनामा होने के कारण मैं आज झूठी गवाही दे रही हूँ।"

16. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0 03, राजकुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा के बयान में कथन किया है कि, "घटना आज से लगभग ढाई तीन साल पहले की है। घटना वाले दिन मैं अपने निजी कार्य से रूद्रपुर गया था। लौटकर एक दो दिन बाद वापस आया तो गांव के लोगों से पता चला कि मुकेश की अभियुक्तगण कुलदीप, भागीरथ, मंगल एवं नैनसिंह से किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गयी थी। मेरे सामने कोई घटना घटित नहीं हुई, न ही मेरे सामने अभियुक्तगण मुकेश के घर में घुसे थे, न ही मैंने उन्हें गंदी गंदी गालियां देते हुए सुना था, न ही मारपीट करते हुए देखा था और न ही जान से मारने की धमकी देते हुए सुना था। घटना के संबंध में दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था।" अभियोजन द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर जिरह की गयी।

17. साक्षी पी0डब्लू0 03, राजकुमार द्वारा अपनी जिरह में धारा 161 सी0आर0पी0सी0 का बयान पढ़कर सुनाये जाने पर कथन किया गया कि, "मैंने दरोगा जी को ऐसा कोई बयान नहीं दिया। बयान कैसे लिख लिया, मुझे नहीं पता। यह कहना सही है कि दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया है, लेकिन यह कहना गलत है कि राजीनामा होने के कारण मैं आज झूठी गवाही दे रहा हूँ।"

18. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0 04, रूपकिशोर ने अपनी मुख्य परीक्षा के बयान में कथन किया है कि, "घटना आज से लगभग दो ढाई साल पहले की है। शाम का समय था। अंधेरा हो चुका था। मैं अपने घर पर मौजूद था। अगले दिन आस पास के लोगों से जानकारी हुई कि मुकेश का कुलदीप, नैनसिंह, भागीरथ और मंगल से किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गयी थी। मेरे सामने कोई घटना घटित नहीं हुई थी, न ही मेरे अभियुक्तगण मुकेश के घर में जबरदस्ती घुसे थे, न ही मैंने उन्हें गंदी गंदी गालियां देते हुए सुना था, न ही मारपीट करते हुए देखा था और न ही जान से मारने की धमकी देते हुए सुना था। घटना के संबंध में दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था। मुकेश का घर मेरे घर से लगभग 100 से 150 मीटर की दूरी पर है।" अभियोजन द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर जिरह की गयी।

19. साक्षी पी0डब्लू0 04, रूपकिशोर द्वारा अपनी जिरह में धारा 161 सी0आर0पी0सी0 का बयान पढ़कर सुनाये जाने पर कथन किया गया कि, "मैंने दरोगा जी को ऐसा कोई बयान

नहीं दिया। बयान कैसे लिख लिया, मुझे नहीं पता। यह कहना सही है कि दोनों पक्षों में सुलह समझौता हो गया है, लेकिन यह कहना गलत है कि राजीनामा होने के कारण मैं आज झूठी गवाही दे रहा हूँ।"

20. इसके अलावा अभियोजन द्वारा अन्य किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

21. इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में साक्षी पी0डब्लू0 01, कुलदीप (वादी मुकदमा/शिकायतकर्ता) ने अपनी मुख्य परीक्षा के बयान में कहा है कि घटना दिनांक 05.09.2020 की है। मैं अपने घर पर सो रहा था। शाम के लगभग 8 बजे थे। तभी अभियुक्तगण कुलदीप, नैनसिंह, भागीरथ एवं मंगल मेरे घर के सामने कम्बाइन मशीन में गाना बजाकर शोर मचा रहे थे। जब मैंने गाना बजाने से मना किया तो यह लोग मुझे गंदी गंदी गालियां देने लगे और मेरे घर में घुसकर जबरदस्ती मारा पीटा। जिससे मेरे भांजे राजकुमार के चोट आ गयी। जब गांव वालों ने शोर बचाने पर इन लोगों को ललकारा तो यह लोग जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये, किन्तु अपनी जिरह में इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा के बयान का समर्थन नहीं किया गया और कहा गया कि घटना के समय अंधेरा था। गाना बजाने को लेकर अभियुक्तगण कुलदीप, भागीरथ, मंगल व नैनसिंह से कहा सुनी हो गयी थी। अभियुक्तगण मेरे घर में जबरदस्ती नहीं घुसे थे। शोर शराबे की आवाज सुनकर काफी लोग आ गये थे। अभियुक्तगण ने न तो मुझे गंदी गालियां दी थी, न ही मारा पीटा था, न ही जान से मारने की धमकी दी थी एवं पुनः परीक्षा में भी इस साक्षी ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया तथा पी0डब्लू0 01 को धारा 161 सी0आर0पी0सी0 का बयान पढ़कर सुनाया गया, तो उसने कहा कि, "मैंने दरोगा जी को ऐसा कोई बयान नहीं दिया। इसी प्रकार अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण पी0डब्लू0 02, किरन देवी ने अपने मुख्य परीक्षा बयान में कहा है कि घटना के समय रात का समय था और अंधेरा था। मैं उस समय घर के अन्दर थी। घर के बाहर शोर शराबे की आवाज सुनकर मैं बाहर आई तो देखा काफी भीड़ इकट्ठा थी। मेरे सामने अभियुक्तगण कुलदीप, भागीरथ, नैनसिंह तथा मंगल ने न तो मेरे पति मुकेश को न ही राजकुमार को गंदी गंदी गालियां दी थी, न ही घर में जबरदस्ती घुसे थे, न ही मारा पीटा था और न ही जान से मारने की धमकी दी थी। इसी प्रकार साक्षी पी0डब्लू0 03, राजकुमार द्वारा भी अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है और कहा गया है कि मेरे सामने कोई घटना घटित नहीं हुई, न ही मेरे सामने अभियुक्तगण मुकेश के घर में घुसे थे, न ही मैंने उन्हें गंदी गंदी गालियां देते हुए सुना था, न ही मारपीट करते हुए देखा था और न ही जान से मारने की धमकी देते हुए सुना था। इसी प्रकार साक्षी पी0डब्लू0 04, रूपकिशोर द्वारा भी अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है और कहा गया है कि मेरे सामने कोई घटना घटित नहीं हुई थी, न ही मेरे अभियुक्तगण मुकेश के घर में जबरदस्ती घुसे थे, न ही मैंने उन्हें गंदी गंदी गालियां देते हुए सुना था, न ही मारपीट करते हुए देखा था और न ही जान से मारने की धमकी देते हुए सुना था। अभियोजन द्वारा उक्त के अतिरिक्त अन्य किसी गवाह को परीक्षित नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन का दायित्व था कि वह किसी अन्य स्वतंत्र साक्षी को परीक्षित कराकर घटना से संबंधित समस्त तथ्यों की पुष्टि कराता, परन्तु अभियोजन पक्ष ऐसा करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है। यद्यपि कि अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन के प्रपत्रों की प्रमाणिकता को स्वीकार किया गया है, लेकिन अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन न किये जाने के कारण उक्त अभियोजन प्रपत्रों की प्रमाणिकता की स्वीकारोक्ति का लाभ अभियोजन पक्ष को नहीं दिया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधिक व्यवस्था **भगवान जगन्नाथ मार्कंड बनाम महाराष्ट्र राज्य 2017(1) सुप्रीम कोर्ट 129** में प्रतिपादित सिद्धांत सुसंगत है, जिसमें कहा गया है कि *It is acceptable principle of criminal jurisprudence that the burden to proof is always on the prosecution and the accused is presumed to be innocent unless proved guilt. The prosecution has to prove its case beyond reasonable doubt and the accused is entitled to the benefit of reasonable doubt*". प्रस्तुत मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत एवं पत्रावली पर

उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोप युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करने में अभियोजन असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण कुलदीप, नैनसिंह, मंगल एवं भागीरथ लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 452,323,504,506 भा0 दं0 सं0 से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

22. अभियुक्तगण कुलदीप, नैनसिंह, मंगल एवं भागीरथ को फौ०वाद सं० 1329/2022 मु० अ० सं० 536/2020 अन्तर्गत धारा 452,323,504,506 भा० दं० सं० थाना बहेड़ी जिला बरेली के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उनके बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूओं को उनके जमानत दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

23. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 ए के अन्तर्गत अभियुक्तगण प्रत्येक को आदेशित किया जाता है कि वह मु० 20,000/-रुपये का नवीन व्यक्तिगत बंध पत्र एवं इसी धनराशि के एक प्रतिभू 6 माह की अवधि के लिए इस आशय का प्रस्तुत करे कि वह इस निर्णय के विरुद्ध अपील योजित होने पर अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

दिनांक:-29.02.2024

(विजय शंकर गौतम)

सिविल जज जू०डि०/न्यायिक मजिस्ट्रेट
बहेड़ी, बरेली।

आज यह निर्णय एवं आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक:-29.02.2024

(विजय शंकर गौतम)

सिविल जज जू०डि०/न्यायिक मजिस्ट्रेट
बहेड़ी, बरेली।